

**छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग,
मंत्रालय,
दारुकल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना**

रायपुर दिनांक 05 फरवरी, 2011

क्रमांक एफ 10-5/2011/वा.कर(आब.)/पांच(5)-छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा पूर्व में इस संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 10-9/2010/वा.कर (आब.)/पांच(16), दिनांक 06.02.2010 को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम-2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिए, उसके (सारणी के) कॉलम-3 में यथादर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है।

क्रमांक	अनुज्ञप्ति का प्रकार	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1	2	3
1	एफ.एल.-1ख अनुज्ञप्ति (अहाता अनुज्ञप्ति)	विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल.-1घ) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 3 प्रतिशत

2/ उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होगा।

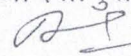
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(व्ही.के.राय)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 05 फरवरी, 2011

क्रमांक एफ 10-5/2011/वा.कर(आब.)/पांच (5) :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-(3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2011/वा. कर(आब.)/पांच (5), दिनांक 05 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(व्ही.के.राय)
उप सचिव

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH,
Commercial Tax (Excise) Department,
Mantralaya,
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

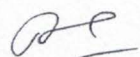
Raipur Dated 05 February, 2011

No. F 10-5/2011/CT(Ex.)/V(5)- In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g), and (h) of Sub-section (2) and proviso to Sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession to the notification No. F 10-9/2010/CT(Ex.)/V(16), dated 06-02-2010 issued in this behalf, the State **Government** hereby prescribed the annual Licence fee as shown in column 3 of the table below for licence mentioned in the corresponding entry in column 2 there of :-

S.No.	Kind of licence	Annual Licence fee
1	2	3
1	F.L. 1B Licence (Ahata Licence)	3 percent of annual Licence fee of Foreign Liquor Shop (F.L. 1D)

2/ This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of
the Governor of Chhattisgarh,


(V.K.Rai)
Deputy Secretary